

राजस्थान-सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक/नर्सिंग/नर्स-प्रथम/एमएसीपी/25813/2024/197 दिनांक 5/6/2024

आदेश

वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1)एफडी/रूल्स/2017 पार्ट दिनांक 06.10.2023 के अनुसरण में राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित नर्सिंग टयुटर (9 वर्षीय निरन्तर सेवा पूर्ण करने) को एमएसीपी निम्नानुसार स्वीकृत करते हुए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी स्तर से अधिसूचना में वर्णित समस्त निर्देशों की अक्षरशः पालना करते हुए पूर्व में स्वीकृत आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) संशोधित कर मोडिफाइड ए0सी0पी0 में वेतन नियतन किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है: -

पद नाम	वर्तमान में देय एसीपी	अनुज्ञेय एमएसीपी 9 वर्ष पर
नर्सिंग टयुटर (आरपीएससी)	9 वर्ष पर देय पे लेवल -13	एल-14

जिन कार्मिकों को दिनांक 01.04.2023 से पूर्व 09 वर्षीय एसीपी एल-12 से एल 13 स्वीकृत की जा चुकी है, उन कार्मिकों को एमएसीपी के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2023 से एल-13 से एल-14 में संशोधित किया जाना है।

वित्त विभाग के आदेश दिनांक 06.10.2023 में निहित प्रावधान के अनुसरण में एमएसीपी का लाभ दिनांक 01.04.2023 से देय होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर
दिनांक 5/6/2024

क्रमांक/नर्सिंग/नर्स-प्रथम/एमएसीपी/25813/2024/197
प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान।
4. निदेशक एडस, / प0क0 / कराबी / एम0एस0यू / आईइसी / राजस्थान।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
5. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, चिकित्सा महाविद्यालय, राजस्थान।
6. समस्त अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ राजस्थान।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
9. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
10. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय कॉलेज आफ नर्सिंग / जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र / महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, सा0स्वा0के0 / प्रा0स्वा0के0 राजस्थान।
12. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
13. आदेश / निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7489389

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date : 04-06-2024 06:27:35